



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं०: - मा०सं०प्र०-02/जनिलि/2013-48-मा०सं०प्र०-02/2005

दिनांक: 24 जुलाई, 2013

1421

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा यथा संशोधित तथा निगम द्वारा अंगीकृत उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद (कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली-1975 के विनियम-2(क) के साथ पठित परिषदाज्ञा संख्या : 5008-जी० एम०/राविप-जी०एम०-10(25)एच/1975, दिनांक 25 सितम्बर, 1975 के द्वारा अंगीकृत शासनादेश संख्या जी-2-956/दस-534/19/1975, दिनांक 22 मई, 1975 के तहत अधोनामित सेवक को उसकी अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने की तारीख के मास के अन्तिम दिन अर्थात् उसके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित तारीख के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	सेवक का नाम/पदनाम/ तैनाती स्थल एवं जन्म तिथि (सर्वश्री/श्रीमती)	अधिवर्षता की आयु	अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तारीख	अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तारीख के मास की अन्तिम तारीख
	1	2	3	4
1.	श्री माखन लाल कार्यालय अधीक्षक (वि०श्रे०) पनकी 05.03.1954	60	05.03.2014	31.03.2014

एतद्वारा यह भी आदेश दिये जाते हैं कि :-

- (1) उपर्युक्त सेवक की अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति की तारीख के पहले उनके सेवा में रहते उसकी आठ महीने की सेवा अवधि में :-
 - (क) उसकी प्रथम छः मास की सेवा अवधि में अनिवार्यतः उसके पेंशन कागजातों की तैयारी के लिए उसकी- (1) अर्हकारी सेवा की संगणना (2) औसत परिलब्धियों का हिसाब और उनके विरुद्ध (3) परिषद/निगम की देय रकमों का हिसाब और जो कुछ निकले उसकी वसूली (4) अनुशासनिक/न्यायिक प्रशासनाधिकरण की जाँच जो भी हो पूरी करने की कार्यवाही इत्यादि प्रत्येक दशा में शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूर्ण कर ली जाय, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने पहले पूरी कर ली जाय।
 - (ख) उसकी अगले सातवें मास की सेवा अवधि के अन्त तक उसकी पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण के अंतिम भुगतान आदेश दे दिये जायें।
 - (ग) उसकी अगली और अन्तिम आठवें मास की सेवा अवधि की पहली तारीख को उसकी पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण के अंतिम भुगतान आदेश दे दिये जायें।
- (2) सम्बन्धित सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति की नोटिस के साथ पेंशन प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ देकर वह उनसे भरवाकर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले आठ मास की सेवा अवधि के प्रथम मास में प्राप्त कर लिया जाए।
- (3) सम्बन्धित सेवक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले अपनी आठ मास की सेवा अवधि में ही निगम में सभी तरह की बकाया देय रकमों, जो कोई उनके विरुद्ध निकलती हो, को निगम के खाते में जमा कर दें।
- (4) सम्बन्धित सेवक यदि निगमीय आवासीय भवन में रह रहा हो, तो वह अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद आवास को खाली कर दे, उसके समस्त देयों का तत्काल निगम को भुगतान कर दें।

dramm


निदेशक (कार्मिक)

सं: 142/ मा00सं0प्र0-02/उनिलि/2013, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कार्मिकों को जन्म तिथि की पुष्टि उनकी सेवा-पुस्तिका से भी कर लें। यदि किसी प्रकार की भिन्नता हो तो अविलम्ब निगम(मु0) को सूचित करने का कष्ट करें तथा किसी कार्मिक का नाम उपरोक्त सूची में शामिल न हो तो उसे भी ससमय सेवानिवृत्त कर प्रकरण कार्योत्तर स्वीकृति हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित करें:-

- (1) अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक (कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
- (4) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबंधन इकाई/तापीय परिचालन/मा0सं0/कारपोरेट स्ट्रेटेजी/ईंधन/सुरक्षा एवं पर्यावरण/जानपद/वाणिज्य/आर0एण्डएम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (6) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (7) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), गोमती नगर, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु।
- (8) वरिष्ठ लेखाधिकारी(प्रशासन)/(वे0 एवं ले0)/(पेंशन)/, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (9) सम्बन्धित कार्मिक

आज्ञा से,



(एम0डी0 मिश्र)

उपमहाप्रबन्धक (02)